माननीय न्यायालय पर्मोद कोहली, □□.

□□□□□□ □□□□ □□***अन्य,*** — □□□□□□□□□□

□□□□

श्रीमती कौशल्या देवी और अन्य,, — □□□□□□□□□

□□.□□. □. 2008 □□ 4305-□□

2006 □□ □□ □□ □ □□□□ 147 □□□

8 □□□□□, 2008

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□***, 1908-O23 R1***

□□ ***नियम (5) — अपील वापस लेने की मांग करने वाले 1 से 5 अपीलार्थी-क्या कुछ अपीलार्थी दूसरों की सहमति के बिना अपील वापस लेने के हकदार हैं-जवाब, नहीं-उपनियम (5) कई वादियों में से एक को अन्य की सहमति के बिना उपनियम (3) के तहत वापस लेने की अनुमति देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।- याचिका खारिज***

अभिनिर्धारित किया गया कि मुकदमा वापस लेना, चाहे वह नया दायर करने की स्वतंत्रता के साथ हो या ऐसी स्वतंत्रता के बिना-दोनों को उप-नियम 5 द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। आदेश 23 के नियम 1 के उप-नियम 5 की सही व्याख्या, जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है, संभव नहीं है। संशोधित प्रावधानों के संदर्भ स्पष्ट हैं। उप नियम 5 कुछ सह-वादियों/अपीलार्थियों द्वारा दूसरों की सहमति के बिना इसे वापस लेने की अनुमति नहीं देता है।

(□□□□ 9 □□ 12)

□□□□□ □□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□.

पर्मोद कोहली, □□.

(1) इस आवेदन के माध्यम से, अपीलार्थी संख्या 6 को छोड़कर सभी अपीलार्थी इस अपील को वापस लेना चाहते हैं।

(2) 8 मई, 2008 के अंतर्वर्ती आदेश में अपीलार्थियों के वकील ने इस प्रश्न की जांच करने के लिए कुछ समय मांगा कि क्या आदेश 23 के नियम 1 के उप-नियम (5) के तहत निहित विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए कुछ अपीलार्थी दूसरों की सहमति के बिना अपील वापस लेने के हकदार हैं।

(3) अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी अपीलार्थी संख्या 6 की सहमति के बिना अपील वापस लेने के हकदार हैं, और उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:

नीलप्पगौड़ा गौड़प्पगौड़ा और अन्य बनाम बसनगौड़ा संगनगौड़ा और अन्य, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

> *"यह अपीलकर्ता संख्या 6 द्वारा अपील से वापस लेने के लिए एक आवेदन है। अन्य अपीलार्थी संख्या 1 से 5 हैं जिनके साथ वह इस अपील को प्रस्तुत करने में शामिल हुए थे। अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के विद्वत प्लीडर द्वारा इस आधार पर आवेदन का विरोध किया गया है कि आदेश 23, नियम 1 के तहत, न्यायालय अन्य वादी की सहमति के बिना सह-वादी को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता है। हालाँकि, उप-नियम (1) के तहत, वादी के लिए सभी या किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ अपना मुकदमा वापस लेने या अपने दावे के हिस्से को छोड़ने के लिए खुला है। जब विशेष अपीलार्थी वापस लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि वह ऐसा करने के लिए खुला है।*
>
> *मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय यह देखने के लिए एक उपयुक्त आदेश दे सकता है कि उसकी वापसी से अन्य अपीलार्थी अनुचित रूप से पूर्वाग्रहित नहीं हैं। लेकिन हम श्री देसाई द्वारा इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उप-नियम (4) उप-नियम (1) को नियंत्रित करता है और सह-अपीलार्थियों की सहमति के बिना वह अपील को वापस नहीं ले सकते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उप-नियम द्वारा पर्यालोचित न्यायालय का प्राधिकरण न्यायालय की अनुमति को संदर्भित करता है जो उप-नियम (2) द्वारा विचार किया गया है जो वादी या उनमें से किसी को एक नया वाद स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ वाद से हटने की अनुमति देता है। उप-*

नियम (3) मुझे इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रतीत होता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि पुरानी संहिता के तहत, धारा 373 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी को वाद वापस लेने में समर्थ बनाने के लिए सह-वादी की सहमति आवश्यक नहीं थी, लेकिन यह कि ऐसी सहमति तब आवश्यक थी जब वह नया वाद दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति के साथ वाद से हटना चाहता था। देखें मोहम्मया चौधरीन बनाम दुर्गा चूरन शाह। उप-नियम (I) का जोड़ और धारा 373 के बारे में पुनर्संगठन इस बिंदु पर स्थिति को नहीं बदलता है। इसलिए मेरी राय है कि न्यायालय इस आधार पर वर्तमान आवेदन को अस्वीकार करने के लिए खुला नहीं है कि सह-अपीलार्थियों की सहमति आने वाली नहीं है।"

(4) बैद्यनाथ नंदी और अन्य बनाम श्यामा सुंदर नंदी और अन्य में भी इसी तरह का विचार रखा गया था, उक्त निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां हैं "मेरी राय में, ऊपर उल्लिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए, उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब कई वादी में से एक उसी मामले के संबंध में एक नया मुकदमा स्थापित करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे बिना मुकदमे से हटना चाहता है, तो सह-वादी की सहमति आवश्यक नहीं है और सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम I के उप-नियम (4) का ऐसे मामलों पर कोई आवेदन नहीं है।"

(5) इन दोनों निर्णयों को आदेश 23 के नियम 1 के उप-नियम (4) की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैः —

"इस नियम की किसी भी बात को अदालत को कई वादियों में से एक को दूसरों की सहमति के बिना वापस लेने की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा"

(6) हालांकि, सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था-सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा और आदेश 23 के पूरे नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया था। आदेश 23 के संशोधित नियम 1 को नीचे उद्धृत किया गया हैः —

"1. मुकदमे को वापस लेना या दावे के एक हिस्से को छोड़ना

(1) मुकदमे की स्थापना के बाद किसी भी समय, वादी सभी या किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ अपना मुकदमा छोड़ सकता है या अपने दावे के एक हिस्से को छोड़ सकता है: बशर्ते कि

वादी जहां है एक नाबालिग या अन्य व्यक्ति जिस पर आदेश XXXII के नियम 1 से 14 में निहित प्रावधानों का विस्तार होता है, न तो मुकदमा और न ही दावे का कोई भी हिस्सा अदालत की अनुमति के बिना छोड़ा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के परंतुक के तहत छुट्टी के लिए आवेदन के साथ अगले मित्र का शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा और साथ ही, यदि नाबालिग या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा किया जाता है, तो वकील के प्रमाण पत्र के साथ किया जाएगा। इसका प्रभाव यह है कि प्रस्तावित परित्याग, उसकी राय में, नाबालिग या ऐसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए है।

(3) जहां न्यायालय संतुष्ट है, -

(ए) कि एक मुकदमा कुछ औपचारिक दोष के कारण विफल हो जाना चाहिए, या

(बी) कि वादी को विषय-वस्तु के लिए एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं किसी मुकदमे या दावे के किसी हिस्से में, वह ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, वादी को ऐसे मुकदमे या दावे के ऐसे हिस्से से हटने की अनुमति दे सकता है

और ऐसे मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दे सकता है। या दावे का ऐसा हिस्सा. (4) जहां वादी-

(ए) उप-नियम (1) के तहत किसी मुकदमे या दावे के हिस्से को छोड़ देता है, या

(बी) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना किसी मुकदमे या दावे के हिस्से से हट जाता है। ,

वह ऐसी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णित कर सकता है और ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से रोक दिया जाएगा।

(5) इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो न्यायालय को कई वादी में से किसी एक को उप-नियम (1) के तहत किसी मुकदमे या दावे के हिस्से को छोड़ने या उप-नियम (3) के तहत वापस लेने की अनुमति देने के लिए अधिकृत करता हो। अन्य वादी की सहमति के बिना, मुकदमा या दावे का हिस्सा।"

(7) उप-नियम (4) को उप-नियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. उप-नियम (5) का अवलोकन स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के उप-नियम 4 और नए उप-नियम के बीच अंतर करता है। (5)| संशोधन से पूर्व, उप-नियम (4) में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के नियम 1 के उप-नियम (1) या उप-नियम (3) या किसी अन्य उप-नियम का उल्लेख नहीं था।

(8) उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णयों में न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि सह-वादियों की सहमति की आवश्यकता केवल तभी होती है जब वाद को वापस लेने की मांग की जाती है और नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्ववर्ती उप-नियम (4) और वर्तमान उप-नियम (5) के बीच एक स्पष्ट अंतर है, उप-नियम (5) उप-नियम (1) के अधीन वाद या दावे के भाग को छोड़ने या उप-नियम (3) के अधीन अन्य वादियों की सहमति के बिना वापस लेने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।

(9) यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वाद को वापस लेने की स्वतंत्रता, चाहे वह नया दायर करने की स्वतंत्रता के साथ हो या सरलकर्ता जिसे पूर्ण वापसी कहा जा सकता है, दोनों को उप-नियम 5 द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है।

(10) इसी तरह का मुद्दा इस न्यायालय और विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया। इस मुद्दे पर कुछ निर्णयों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। सुरेश चंद चौधरी बनाम शशि प्रभा नांगिया, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं::

"सबसे पहले, मैं दूसरे प्रस्ताव पर टिप्पणी करना चाहूंगा जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा स्थापित किया गया है। आदेश 23 नियम 1 (5) निम्नानुसार हैः -

"इस नियम की कोई बात न्यायालय को उप-नियम (1) के अधीन किसी वाद या दावे के भाग को छोड़ने या उप-नियम (3) के अधीन किसी वाद या दावे के भाग को अन्य वादियों की सहमति के बिना वापस लेने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करने के लिए नहीं मानी जाएगी।"

उपरोक्त को पढ़ने से पता चलता है कि यदि एक से अधिक वादी की ओर से मुकदमा दायर किया जाता है और यदि एक वादी अपना दावा वापस लेता है या छोड़ देता है, तो इस तरह की वापसी दूसरे सह-वादी की सहमति के अभाव में कानूनी नहीं है।"

(11) भगवान दास और अन्य बनाम परम जीत और अन्य में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

> *""इस प्रकार, इन सभी तथ्यों को एक साथ लेने से यह पता चलता है कि मुकदमे को वापस लेने के लिए परमजीत की सहमति कभी नहीं ली गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 1 (5) के प्रावधानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। आदेश का कोई अनुपालन नहीं है जो यह उपबंध करता है कि इस नियम की कोई बात न्यायालय को उप-नियम (1) के अधीन वाद या दावे के भाग को छोड़ने या उप-नियम (3) के अधीन अन्य वादियों की सहमति के बिना किसी वाद या दावे के भाग को वापस लेने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करने के लिए नहीं समझी जाएगी।"*

(12) उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, आदेश 23 के नियम 1 के उप-नियम 5 की सही व्याख्या स्पष्ट है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्या संभव नहीं है। संशोधित प्रावधानों के संदर्भ स्पष्ट हैं। उप-नियम 5 कुछ सह-वादियों/अपीलार्थियों द्वारा दूसरों की सहमति के बिना वापस लेने की अनुमति नहीं देता है।

(13) तदनुसार यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा